रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-66/2026/875/22-2-2025-17(22)/2017
लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल (बन्दी संख्या-46644) पुत्र श्री बद्री, ग्राम-वृन्दावन एच0ओ0-लक्ष्मनपुर ग्रण्ट, थाना-कोतवाली बीकापुर, जनपद-अयोध्या मूल पता-जगराज मिश्र का पुरवा एच0ओ0 रामनगर, थाना-कूडेभार, जनपद-सुल्तानपुर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-38/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सं0-09 फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 26.06.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष, 05 माह, 29 दिन तथा 23 वर्ष, 08 माह, 15 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, आयु 94 वर्ष होने एवं जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-66/2026/875(1)/22-2-2025 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।